बिहार विधान सभा में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना	
श्रीमती सावित्री देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
ध्यानाकर्षण सूचना	**उत्तर**
"जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के अन्तर्गत दुलमपुर पंचायत, थाना चकाई जिला–जमुई में वर्ष 2011 की आपदा राशि को सरपंच श्री दिनेश यादव एवं राजस्व कर्मचारी श्री अरुण कुमार, हल्का नं0–5 ने उक्त वित्तीय वर्ष में आपदा राशि को अपने–अपने चहेतों के बीच में वितरण किया है । उक्त राशि को 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के बीच वितरण करना था परन्तु सरपंच एवं राजस्व कर्मचारी ने आपस में मिली भगत कर 60 वर्ष से कम उम्र वालों को राशि का वितरण किया है तथा राशि का वितरण बी0पी0एल0 परिवार वालों को नहीं कर ए0पी0एल0 वालों को दिया गया है। आपदा राशि का वितरण उक्त अवधि में मो0 शमसुल पिता सदीक मियॉ ग्राम–दुलमपुर की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई है, को भी आपदा राशि दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त राशि का किस कदर बन्दर बॉट किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों की जानकारी पूर्व में लोकायुक्त, बिहार, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को रजिस्ट्री द्वारा दी गई है, जिसपर आज तक कार्रवाई नहीं की गई।" अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित व्यक्तियों पर जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	जिला पदाधिकारी, जमुई के प्रतिवेदनानुसार आपदा राशि वितरण में उम्र सीमा बाध्यकारी नहीं है। आपदा की राशि APL एवं BPL दोनो को देय है। मो0 समसुल पिता सदीक मियां, ग्राम–दुलमपुर को आपदा की राशि नही दी गई है। मो0 समसुल के पिता मो0 सदीक मिंया जिनके पिता रफीक मियां है, को आपदा का लाभ दिया गया है। साक्ष्य के तौर पर अभिश्रव पंजी की छायाप्रति क्रमांक 1001 पर देखा जा सकता है, जो संलग्न है।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–02/वि0स0–ध्याना0–10/2017/............................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–3753–3755 दिनांक–29.05.2017 के क्रम में कुल 05 (पॉच) प्रतियों में/संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–02/वि0स0–ध्याना0–10/2017/............................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–02/वि0स0–ध्याना0–10/2017/....1621..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 15/6/18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/18
सरकार के अवर सचिव

D:\2018\Ajay Sir\विधायी\ध्यानाकर्षण\बि0वि0स0\Ans for Sabitri Devi.docx